

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक- 2936
दिनांक 29/9/17
जयपुर, दिनांक 26 SEP 2017

क्रमांक- प-1(1)H-1/2017 Part

जयपुर, दिनांक

—: आदेश :—

कार्मिक विभाग के अ.शा.नोट दिनांक 02.05.2017 एवं कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 25013/02/2005-AIS-II दिनांक 28.06.2012 की अनुपालना में Non performing officers to be compulsorily retired using 16(3) All India Service (Death cum Retirement Benefit) Rules, 1958 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की स्क्रीनिंग हेतु कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर	सदस्य
3.	श्री विजय कुमार सिंह, आईपीएस (आर.आर.-1984) महानिदेशक होमगार्ड, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामांकित अन्य राज्य से)	सदस्य
4.	श्री सुदर्शन सेठी, आईएएस, प्रमुख शासन सचिव, (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामांकित एससी/एसटी संवर्ग के अधिकारियों के Representing हेतु)	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग	संयोजक


आज्ञा से-



(मनीष चौहान)
शासन सचिव, गृह.

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/वरिष्ठ उप शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
6. महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
7. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, गृह विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


(चेतन/देवडा)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस